"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2007—फाल्गुन 10, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

आदेश

क्रमांक/एफ-86/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/193.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डौंडी लोहारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. तरूणा को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

आदेश

क्रमांक/एफ-86/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/194.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डौंडी लोहारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. प्रभा बाई सिन्हा को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

आदेश

क्रमांक/एफ-86/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/195.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डौंडी लोहारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती पद्मा देवांगन को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

आदेश

क्रमांक/एफ-86/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05.—दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डौंडी लोहारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. पायल सोनी को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.